

# कार्यालय रांची नगर निगम, रांची।

## जलापूर्ति शाखा।

पत्रांक :-

दिनांक :-

### कार्यालय आदेश

### जल संयोजन स्वीकृति

झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 592 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रांची नगर निगम जल प्रभार एवं गृह जल संयोजन उप नियम - 2013 बनाये गये जिसकी स्वीकृति दिनांक : 22.05.2013 को रांची नगर निगम बोर्ड की साधारण बैठक में कतिपय संशोधनों के साथ पारित किया गया। (कार्यालय आदेश संख्या - 182, दिनांक : 01.06.2013) निर्गत है।

इस क्रम में जल संयोजन स्वीकृत करने हेतु आदेश निर्गत किया जाता है। -

1. इच्छुक व्यक्ति कम्प्यूटरीकृत आवेदन पत्र आवश्यक प्रतिष्ठियां कर रांची नगर निगम कार्यालय के जलापूर्ति-शाखा में फोटो के साथ जमा करेंगे। आवेदन पत्र का मूल्य रु0 50/- है।
2. जल संयोजन हेतु लाईन प्लॉन कम्प्यूटरीकृत रूप में तैयार हो ए 4 पेपर पर Not to Scale उपभोक्ता स्वयं बनवाकर अपने हस्ताक्षर के साथ 04 प्रति में जमा करेंगे।
3. होल्डिंग नंबर पर संयोजन लेने के लिए क्रमांक 01 एवं 02 के साथ सिर्फ रांची नगर निगम द्वारा निर्गत अद्यत्तन गृह कर रसीद की छायाप्रति संलग्न करना है।
4. सुविधा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित मकान संख्या वाले उपभोक्ता क्रमांक 01 एवं 02 के अतिरिक्त आदेश मेमो एवं अद्यत्तन गृह कर रसिद की छाया प्रति संलग्न करना है।
5. **I. D. Proof पर संयोजन लेने हेतु** क्रमांक 01 एवं 02 के अतिरिक्त अपने निर्मित मकान के साक्ष्य के रूप में से दो साक्ष्य की स्थापित छाया प्रति संलग्न करेंगे साथ में नोटरी पब्लिक द्वारा जारी शपथ पत्र की मूल प्रति। प्रारूप दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित है किया जा चुका है।
  - क) आवेदक के नाम से निर्गत आधार कार्ड।
  - ख) आवेदक के नाम से विद्युत संयोजन सम्बन्धी साक्ष्य।
  - ग) आवेदक के नाम से दूरभाष विपत्र।
  - घ) आवेदक के नाम से गैस कनेक्शन सम्बन्धी साक्ष्य।
  - ङ.) आवेदक के नाम से निर्गत मतदाता पहचान पत्र।
  - च) आवेदक के नाम से निर्गत पैन कार्ड।
  - छ) आवेदक के नाम से बैंक/पोस्ट ऑफिस के खाते का पास बुक।
  - ज) आवेदक के नाम से निर्गत ड्राईविंग लाईसेंस।
  - झ) आवेदक के नाम से राशन कार्ड।
6. जल संयोजन हेतु जांच कार्य पाईप लाईन निरीक्षक/कनीय अभियंता/सहायक अभियंता, जलापूर्ति शाखा करेंगे।
7. उपभोक्ता अपने घर से स्वीकृत नक्शे की अनुरूप वितरण पाईप तक स्वयं के खर्च पर अपने देख-रेख में निगम में सूचिवद्ध किसी भी पलम्बर द्वारा अपना सर्विस पाईप बिछवायेंगे तथा रांची नगर निगम के पी0 एल0 आई0 /कनीय अभियंता की उपस्थिति में फेरुल संयोजन करायेंगे।
8. सभी जल संयोजन Water Meter युक्त होंगे जिसे उपभोक्ता स्वयं के खर्च पर लगायेंगे। Water Meter I.S.I. मार्क होना अनिवार्य है।

9. जल संयोजन होने की सूचना उपभोक्ता को स्वयं लिखित रूप में रांची नगर निगम को देनी होगी।

10. होल्डिंग/सुविधा शुल्क के लिए शुल्क जमा विवरण :-

विवरणी	संयोजन शुल्क	
निर्मित क्षेत्रफल	गैर घरेलु	घरेलु
100 वर्ग मीटर तक	रु0 1,000/-	रु0 200/-
101 से 200 वर्ग मीटर तक	रु0 1,200/-	रु0 500/-
201 से 400 वर्ग मीटर तक	रु0 1,500/-	रु0 700/-
400 वर्ग मीटर से अधिक	रु0 2,000/-	रु0 1,000/-

11. I. D. Proof पर संयोजन लेने हेतु शुल्क जमा विवरण :-

(A) घरेलु

100 वर्ग मीटर तक	संयोजन शुल्क रु0 200/- + जमानत की राशि रु0 2,000/-
101 से 200 वर्ग मीटर तक	संयोजन शुल्क रु0 500/- + जमानत की राशि रु0 2,000/-
201 से 400 वर्ग मीटर तक	संयोजन शुल्क रु0 700/- + जमानत की राशि रु0 2,000/-
400 वर्ग मीटर से अधिक	संयोजन शुल्क रु0 1000/- + जमानत की राशि रु0 2000/-

(B) गैर घरेलु

100 वर्ग मीटर तक	संयोजन शुल्क रु0 1000/- + जमानत की राशि रु0 5000/-
101 से 200 वर्ग मीटर तक	संयोजन शुल्क रु0 1200/- + जमानत की राशि रु0 5000/-
201 से 400 वर्ग मीटर तक	संयोजन शुल्क रु0 1500/- + जमानत की राशि रु0 5000/-
400 वर्ग मीटर से अधिक	संयोजन शुल्क रु0 2000/- + जमानत की राशि रु0 5000/-

12. सर्विस पाईप उच्च गुणवत्ता के होंगे तथा 60.00 मीटर Water Pressure सह सकने के योग्य होंगे। साथ ही सर्विस पाईप यदि Drain से गुजरे तो उपभोक्ता को उतने भाग में G. I. Casing पाईप देना अनिवार्य होगा।

13. सभी जल संयोजन Water Meter युक्त होंगे तथा उपभोक्ताओं द्वारा जल चार्ज निम्नवत् देय होगा। Water Meter बंद हो जाने पर पुनः इसके बदलने की जवाबदेही उपभोक्ता की होगी अन्यथा औसत पठन से 25% पठन बढ़ाकर जल कर देय होगा। छः माह बाद जल संयोजन काट दिया जायेगा।

क्रमांक	प्रकार	संयोजन चार्ज	जल चार्ज
1	घरेलु दोनो ही एकांगी एवं बहु मंजिली इमारत।	03 (ग) के अनुरूप	रु0 6/- प्रति कि०ली०
2	संस्थागत/सरकारी	रु0 2,000/-	रु0 10/- प्रति कि०ली०
3	वाणिज्यिक	रु0 3,000/-	रु0 15/- प्रति कि०ली०
4	औद्योगिक		
	एस० एस० आई० युनिट	रु0 3,000/-	रु0 15/- प्रति कि०ली०
5	लघु उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उद्योग	रु0 10,000/-	रु0 20/- प्रति कि०ली०

नोट:- 1. अपार्टमेंट में One Point Connection जो उनके अध्यक्ष/सचिव के नाम पर स्वीकृत होगा तथा जमानत की राशि रु0 700/- प्रति फ्लैट देय होगा।  
2. संस्थागत / सरकारी के लिए जमानत की राशि रु0 2,000/- देय होगा।  
3. वाणिज्यिक के लिए जमानत राशि रु0 3,000/- देय होगा।

14. (A) पूर्व से बिना मीटर के लगे सभी जल संयोजनों को भी मीटर युक्त कराना बाध्यकारी होगा। (दिनांक : 31.12.13 तक) Transition Period में होल्डिंग से सम्बन्धित मांग पंजी में उल्लेखित निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर जल प्रभार निम्न प्रकार से लिया जायेगा।

निर्मित क्षेत्र	जल कर
100 वर्ग मीटर तक	रु0 200 /— प्रति माह
101 वर्ग मी0 से 200 वर्ग मी0 तक	रु0 300 /— प्रति माह
201 वर्ग मी0 से 400 वर्ग मी0 तक	रु0 500 /— प्रति माह
400 वर्ग मी0 से अधिक	रु0 750 /— प्रति माह

(B) उपभोक्ता को निर्धारित तिथि के अंदर जल कर विपत्र का भुगतान करना अनिवार्य है अन्यथा 2% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज लगाया जायेगा।

(C) तीन महीने तक विपत्र का भुगतान नहीं करने पर जल संयोजन काट दिया जायेगा तथा पुनर्संयोजन (Reconnection) हेतु अद्यत्तन जल कर भुगतान के साथ रु0 1,000 /— अधिभार देना होगा।

15. **जल संयोजन का नामांतरण**

यदि गृह स्वामी का नामांतरण होता है तथा नया गृह स्वामी जल संयोजन का नामांतरण हेतु रु0 100 /— शुल्क के साथ सादा कागज पर यथा निम्न दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ एक आवेदन देगा।

- क) शपथ पत्र
- ख) अन्य कोई संबंधित कागजात।

16. **अनाधिकृत जल संयोजन का विनियमन**

(क) रांची नगर निगम जलापूर्ति शाखा द्वारा वर्तमान में अनाधिकृत जल संयोजन को इस निमित्त अधिसूचित तिथि के पूर्व निम्न शुल्क के साथ आवेदन नियमित या वैध किया जा सकेगा।

- I) दण्ड रु0 1,000 /—
- II) संयोजन शुल्क का विवरण इस आदेश में वर्णित है अन्य सभी कागजातों के साथ।

(ख) रांची नगर निगम जलापूर्ति शाखा द्वारा अधिसूचित तिथि के पूर्व विनियमन नहीं कराने वाले गृहस्वामियों का जल संयोजन काटने के साथ उनके विरुद्ध झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 208 एवं 218 के तहत कार्रवाई की जायेगी जिसमें गृह स्वामी और अध्यासी संयुक्त रूप से या अलग-अलग भी अपराध के भागी होंगे तथा अधिफल रु0 10,000 /— जुर्माना लगाया जायेगा।

17. कनेक्शन शुल्क के साथ रांची नगर निगम रोड के लिए Trench Cutting का शुल्क रु0 100 /— देय होगा।

18. फेरुल सफाई हेतु शुल्क रु0 200 /— देय होगा।

**यह आदेश दिनांक : 01/06/2013 से प्रभावी होगा।**

ह0 /—

**मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,**  
रांची नगर निगम, रांची।